न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–45/2019–20

प्रथम पक्षः–भुनेश्वर महतो, ग्राम–पत्थलगडा, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–महावीर मिस्त्री, ग्राम–बारीयातु, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा।

1	2	3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, गिद्धौर के द्वारा भेजे गए वाद संख्या–102/2016–17 के आधार पर प्रारम्भ की गई। इस वाद में प्रथम पक्ष भुनेश्वर महतो, पिता–स्व0 ईश्वरी महतो, साकिन–पत्थलगडा, थाना–पत्थलगडा है तथा द्वितीय पक्ष भुनेश्वर मिस्त्री, पिता–स्व0 झमन मिस्त्री, साकिन–बारीयातु, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा है।

प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा	कुल रकबा
बरियातु	32	1028 1099	0.92 एकड़ 0.12 एकड़	1.04 एकड़

अंचल अधिकारी, गिद्धौर के द्वारा दिनांक–21.09.2016 को पारित किए गये आदेश का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, गिद्धौर ने आदेश में यह उल्लेख किया है कि मौजा–बारियातु के खाता नं–32 सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। प्लॉट नं0–1028 का कुल रकबा–0.92 एकड़ है तथा बकास्त पाने वाले का नाम चरण महतो वगै0 दर्ज है। अंचल अधिकारी ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि इस भूमि पर महावीर लोहार, पिता–स्व0 झमन लोहार के नाम से अंचल कार्यालय के पंजी–2 में जमाबन्दी चल रही है और यह जमाबन्दी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के पत्रांक–72/05–06 एवं अभिलेख संख्या–01/05–06 के अनुसार दर्ज है। अंचल अधिकारी का मन्तव्य है कि खतियानी भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होनी चाहिए और तद्नुसार इनके द्वारा इस जमाबन्दी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की गई है। द्रोपदी देवी, पति–महावीर मिस्त्री के नाम से खाता नं0–32 के प्लॉट नं0–1099 में रकबा–0.12 एकड़ भूमि के संदर्भ में इन्होंने उल्लेख किया है कि यह भूमि वासगीत पर्चा से द्रोपदी देवी को प्राप्त है तथा इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई अनुशंसा अथवा मंतव्य अंचल अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है।

अंचल अधिकारी के द्वारा दिनांक–21.09.2016 के द्वारा आदेश पारित कर इस न्यायालय को अभिलेख पत्रांक–244, दिनांक–21.09.2016 के माध्यम से भेजे जाने पर इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी की गई तथा उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्रथम पक्ष भुवनेश्वर महतो वगै0 की और से विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष

Scanned with OKEN Scanner

रखकर इस न्यायालय को लिखित कथन के माध्यम से यह बताया कि प्रथम पक्ष की पुश्तेनी जमीन ग्राम–बारियातु में खाता नं0–82, 76, 32, 100/30, मधे रकबा–8.49 एकड़ खेंवट नं0–2/3 के अन्दर है, जिसके सामिलात मालिकान चरण महतो के नाम से खेंवट खतियान दर्ज है। चरण महतो खेंवट नं0–2/3 का खेंवटदार था। इनके पुत्र ग्यानी महतो हुए, जो खेंवट नं0–2/3 के सम्पति के मालिक हुए। इन्हीं के द्वारा मुर्ति देवी को हुकुमनामा से प्रश्नगत भू–खण्ड की बन्दोबस्ती कर दी गई है और अन्य प्लॉट के साथ मूर्ति देवी को यह जमीन हासिल हुआ। अन्य प्लॉट के साथ पंजी–2 में इसकी जमाबन्दी भी कायम हुआ और लगान रसीद निर्गत हुआ। इनका कथन है कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने गलत प्रतिवेदन देकर इस भूमि का बन्दोबस्त विपक्षी को करा दिया है। द्रोपदी देवी के वासगीत पर्चा के संदर्भ में भी यह उल्लेख किया है कि उनके पर्चा में जमीन मालिक जीवलाल महतो दर्शाया गया है, जबकि जीवलाल महतो से प्रथम पक्ष का कोई संबंध नहीं है। इस पर्चा को भी इन्होंने गलत कहा है।

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन दाखिल कर यह कहा है कि मौजा–बारियातु के खाता संख्या–32, प्लॉट नं0–1028, रकबा–0.92 एकड़ भूमि बकास्त भूमि है। बकास्त भूमि होने के आधार पर उन्हें यह भूमि बन्दोबस्ती से मिला है, जिसे तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी, तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा जांचोपरान्त बन्दोबस्ती पर्चा दिया गया है। दिनांक–04.02.2006 को उन्हें यह भूमि बन्दोबस्ती से मिला है, जिसका केश संख्या–14/05–06 है तथा विविध वाद संख्या–01/05–06 के आधार पर महावीर मिस्त्री, पे0–झमन मिस्त्री के नाम से यह बन्दोबस्ती मिला है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का न केवल घर–मकान है, बल्कि भूमि संरक्षण विभाग से तालाब खुदवाकर खेती–बाड़ी भी कर रहें हैं। सरकारी कुंआ भी है, जिससे पटवन किया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या–32, प्लॉट नं0–1099, रकबा–0.12 एकड़ भूमि के संदर्भ में द्वितीय पक्ष ने यह कहा है कि यह भूमि भूमिहीन होने के कारण अंचल अधिकारी, गिद्धौर ने उनकी पत्नी द्रोपदी देवी को वासगीत पर्चा दिया है, जिसका भू–स्वामी जीवलाल महतो था। द्वितीय पक्ष इस भूमि पर एलवेस्टर का मकान बनाकर शान्ति पूर्वक निवास करते आ रहें हैं, जिसपर भू–स्वामी के वारिशान को कोई आपत्ति नहीं है। द्वितीय पक्ष ने यह भी कहा है कि प्रथम पक्ष ने जाली एवं फर्जी हुकुमनामा का कागज तैयार कर लिया है तथा प्रथम पक्ष को बेदखल करने की नियत से उन्हें परेशान कर रहे हैं तथा इस प्रकार के मुकदमा को अंचल कार्यालय को मेल में लाकर वर्त्तमान में लाए हैं। प्रथम पक्ष कभी भी इस भूमि में दखल–कब्जा में नहीं रहें हैं और न वर्त्तमान में है। प्रथम पक्ष का जमाबन्दी भी इस भूमि का

Scanned with OKEN Scanner

आज तक कायम नहीं है और न हीं कभी मालगुजारी रसीद निर्गत हुआ है। इन्होंने अपनी जमाबन्दी को यथावत रखने हेतु आग्रह किया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किए गये लिखित कथन एवं संलग्न राजस्व कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भू–खण्ड सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। बकास्त खाते की भूमि को प्रथम पक्ष खतियानी भूमि मानकर अपना दावा करते हैं, जबकि इसी भूमि अर्थात् खाता नं0–32, प्लॉट नं0–1028, रकबा–0.92 एकड़ भूमि की महावीर लोहार, पिता–स्व0 झमन लोहार के नाम से जमाबन्दी चल रही है तथा द्वितीय पक्ष का हीं दखल–कब्जा भी है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि यह जमाबन्दी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–72/05–06 एवं अभिलेख संख्या–01/05–06 के अनुसार चल रहा है, जो पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–90/3 पर दर्ज है। तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के स्तर से निर्गत आदेश एवं उस पर कायम किये गए जमाबन्दी को समकक्ष पदाधिकारी के स्तर से रद्द नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी के स्तर से नियमविरूद्ध तरीके से इसकी समीक्षा कर अभिलेख भेजा गया है, जिसे तर्कसंगत नहीं मानकर इसे **निरस्त** किया जाता है। वास्तव में यह मामला हक़–हक़ीयत का प्रतीत होता है, जिसके लिए व्यवहार न्यायालय हीं सक्षम न्यायालय है। प्रथम पक्ष अपीलीय/व्यवहार न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/5/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

10/5/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:41:58 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner